

(x) क्षतिपूर्ति की व्यवस्था सहित इसके विनियमनों में उल्लेख अनुसार इसके प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।

कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को उनके ग्रेड और वेतनमान के अनुसार मूल वेतन, विशेष वेतन, व्यैक्तिक वेतन, महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता, वाहन भत्ता, उत्पादन प्रोत्साहन, टिफिन भत्ता, शिक्षा भत्ता, टेलीफोन प्रतिपूर्ति, पत्रिका प्रतिपूर्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मकान किराया भत्ता, बिजली / जल शुल्क प्रतिपूर्ति, निरंतर उत्कर्ष पुरस्कार(एनयूपी) आदि शामिल करके मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। ग्रेड तथा वेतनमान का विवरण निम्नवत है:

अ. कार्यपालक

सभी कार्यपालकों को लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत वेतनमान प्रदान किया जाता है। मौजूदा आईडीए प्रारूप के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से निम्नानुसार वेतनमान प्रभावी हैं।

पदनाम	स्केल कोड	वेतनमान (रु.में)
सहायक अभियंता /सहायक अधिकारी/ जीईटी/ प्रबंधन प्रशिक्षु	ई-0	40000 -3% - 140000/-
कनिष्ठ प्रबंधक/चिकित्सा अधिकारी	ई-1	60000 -3%- 180000/-
सहायक प्रबंधक /वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	ई-2	70000 -3% - 200000/-
उप प्रबंधक/ सहायक चिकित्सा अधीक्षक	ई-3	80000 -3% - 220000/-
प्रबंधक/उप चिकित्सा अधीक्षक	ई-4	90000 -3% - 240000/-
वरिष्ठ प्रबंधक/चिकित्सा अधीक्षक	ई-5	100000 -3% - 260000/-
सहायक महाप्रबंधक/ सहायक महा चिकित्सा अधीक्षक	ई-6	120000 -3% -280000/-
उप महाप्रबंधक	ई-7	120000 -3% -280000/-
महाप्रबंधक	ई-8	120000 -3% -280000/-
कार्यपालक निदेशक	ई-9	150000- 3%- 300000/-

आ. गैर कार्यपालक

सभी गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के संबंध में वेतनमान भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा ट्रेड यूनियनों के साथ वार्ताओं के पश्चात 10 वर्षों में एक बार समीक्षा कर संशोधित किया जाता है। निम्न प्रदान किया गया वेतनमान 01.01.2017 से प्रभावी है।

अकुशल/अर्धकुशल	अनुसचिवीय	तकनीकी	वेतनमान(रु.)
श्रेणी कोड	श्रेणी कोड	श्रेणी कोड	
डब्ल्यू1			25800-3%-60000/-
डब्ल्यू 2			27300-3%-65000/-
डब्ल्यू ३	एम0	टी०/पी०	29500-3%-70000/-
डब्ल्यू ४	एम 1	टी1/पी1	31500-3%-80000/-
डब्ल्यू 5	एम 2	टी2/पी2	34000-3%-90000/-
डब्ल्यू ६	एम ३/एस०	टी३/पी३/एस०	36500-3%-115000/-
डब्ल्यूएसजी	एम ४/एस१	टी४/पी४/एस1	37200-3%-120000/-
डब्ल्यूएसजी-1	एम 5/एस2	टीऽ/पीऽ/एस2	37900-3%-125000/-
	एम ६/एस३	टी६/पी६/एस३	38400-3%-130000/-
	एम ७/एस४	टी७/पी७/एस४	38900-3%-135000/-
	एम ८/एस5	टी८/पी८/एस5	39500-3%-138000/-
	एसजी	एसजी	39900-3%-139000/-
	एसजी-1	एसजी-1	39900-3%-139000/-



कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक माह के अंत में संबंधित माह हेतु उनके द्वारा लिए गए विभिन्न अग्रिमों के संचयी शेष तथा टीडीएस की कटौती, आय के विवरण प्रदर्शित करते हुए एक कंप्यूटरीकृत वेतन पावती प्रदान की जाती है।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2क) के साथ पठित कंपनी (कर्मचारियों के विवरण) नियम, 1975, जहां लागू हो, के प्रावधानों के अधीन कर्मचारियों द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेखित किया जाता है।